तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/3229/2021/अलवर** **दिनेश चंद बनाम मूर्ति उर्फ नन्गो व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मदनलाल गुर्जर, वकील प्रार्थी ।

श्री अशोक अग्रवाल, वकील अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक :–04.09.2023

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.04.2021 जो कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील सं0 08/2019 में पारित किया गया था, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं ।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 112 दिनांक 24–04–2016 ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा प्रार्थी निगराकार के पक्ष में स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया था। ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–04–2016 के विरूद्ध अनिगराकार क्रम 01 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने अपने आदेश दिनांक 29–05–2019 के द्वारा अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–04–2016 बाबत् इंतकाल संख्या 112 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि मृतक चरणसिंह की विरासत का विधिनुसार पुनः इंतकाल निर्णित करने का आदेश पारित करें। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2019 से व्यथित होकर प्रार्थी ने द्वितीय अपील विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश की। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 12–04–2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2019 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–04–2021 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वार हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/3229/2021/अलवर** **दिनेश चंद बनाम मूर्ति उर्फ नन्गो व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3— प्रार्थी निगराकार ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 12—04—2021 की सूचना प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी को नहीं दी इसलिए प्रार्थी को उक्त निगराधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। प्रार्थी को उक्त निगराधीन निर्णय की जानकारी हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिसपर अपने वकील साहब के पास गया और उक्त निगराधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन पेश किया। तत्समय कोरोना महामारी एवं लाकडाउन भी एक कारण रहा है जिससे निगरानी पेश करने में विलम्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

4— हमने योग्य अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी।

5— योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12—04—2021 एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—05—2019 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उन्होंने कथन किया कि विद्वान संभागीय आयुक्त महोदय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मृतक चतरसिंह व हरचरणसिंह दो भाई थे जिसमें चतरसिंह के दो पुत्री अप्रार्थीया संख्या 1 व कृपादेवी थी जिसमें कृपादेवी फौत हो गयी क्योंकि चतरसिंह के जाईन्दा कोई लडका नहीं था इसलिए उसने अपने भाई के लडके प्रार्थी को गोद ले लिया और चतरसिंह के जीवनकाल में प्रार्थी ही उसकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज रहकर चतरसिंह की सेवा टहल करता रहा। चतरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 02—12—2010 को हो गया जिसकी विरासत का इन्तकाल ग्राम पंचायत जटवाड द्वारा प्रार्थी के नाम अप्रार्थीया संख्या 01 व मृतक कृपादेवी के समक्ष दर्ज व तस्दीक किया गया। अप्रार्थीया व कृपादेवी ने प्रार्थी के पक्ष में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये और इन्तकाल विरासत वसीयत के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में दर्ज व तस्दीक करने की सहमति जताई जिसके आधार पर ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा नामां0 संख्या 112 दिनांक 24—04—2016 को दर्ज कर स्वीकृत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत व अप्रार्थीया संख्या 1 व कृपादेवी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को नजरअन्दाज करते हुए निगराधीन आदेश पारित किया है। उन्होंने कथन किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/3229/2021/अलवर** **दिनेश चंद बनाम मूर्ति उर्फ नन्गो व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कि विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि मृतक चतरसिंह द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29–08–1991 को उपपंजीयत के यहा तस्दीक कराई जिस रजिस्टर्ड वसीयत को मन्सुख कराने हेतु एक वाद सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ के यहां पेश किया हुआ है जिस वाद में असल अप्रार्थीया द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। उनका कथन है कि जब वसीयत को निरस्त कराने के लिए नियमित वाद अप्रार्थीया संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है और उसने अप्रार्थी संख्या 01 ने स्थगन मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का प्राप्त किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय को नियमित वाद के निर्णय तक इन्तकाल की कार्यवाही को स्थगित रखनी चाहिए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर निगराधीन आदेश पारित किया है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र के मन में बेईमानी व बदयान्ती आ जाने के कारण इन्तकाल संख्या 112 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील तहत न्यायालय में पेश की गयी थी जिसे तहत न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना ही अपील को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने का अवैधानिक आदेश पारित कर दिया। उन्होंने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गोर नहीं किया कि अप्रार्थीया ने नामा0 संख्या 112 दिनांक 24–04–2016 के विरूद्ध अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष पेश की गयी थी अप्रार्थीया द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अतः बिना प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीया को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने कथन किया कि जहॉ रजिस्टर्ड विल से नामांतरकरण स्वीकृत हो जाता है वहॉ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू नहीं होती। अतः उन्होंने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–04–2021 एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–05–2019 को निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 24–04–2016 को यथावत बहाल रखे जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जावे।

6– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 के पिता चतरसिंह के कोई पुत्र संतान उत्पन्न नहीं हुई थी न ही उनके द्वारा अपने जीवन काल में किसी को गोद लिया गया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/3229/2021/अलवर** **दिनेश चंद बनाम मूर्ति उर्फ नन्गो व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

था। प्रार्थी/निगराकार अप्रार्थी के चाचा हरचरण जो की अप्रार्थी के पिता चतरसिंह का छोटा भाई है, का पुत्र है। अप्रार्थी के पिता चतरसिंह के नाम ग्राम जटवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर में खाता संख्या 65 में कुल 20 किता की रकबा 12.21 है0 भूमि स्थित थी जिसमें उनका 1/4 हिस्सा निहित है। खाता संख्या 66 में स्थित खसरा नं0 331 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 चाह में 1/8 हिस्सा एवं खाता संख्या 67 में स्थित खसरा नं0 387 रकबा 0.06 है0 में 1/16 हिस्सा निहित है। सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया था। ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना, कोई नोटिस दिए बिना ही इंतकाल संख्या 112 दिनांक 24–04–2016 खोला गया। अप्रार्थी चतरसिंह की जायन्दा पुत्री है तथा चतरसिंह के कोई संतान पुत्र नहीं था। प्रार्थी ने चालाकी से अनाधिकृत रूप से इंतकाल संख्या 112 ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया। प्रार्थी दिनेश हरिचरण का लडका है। जिसने चतरसिंह का पुत्र बताते हुए गलत इंतकाल दर्ज करवा लिया। तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 29–08–1991 फर्जी है। उक्त कूटरचित वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया इंतकाल संख्या 112 की जानकारी अप्रार्थी को हुई तो उसके द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420, 466, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत फौजदारी परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। जिसपर अनुसंधान जारी है। अप्रार्थीया के पिता चतरसिंह की मृत्यु दिनांक 02–12–2010 को हुई। उनकी मृत्यु के लगभग छः वर्ष पश्चात् इंतकाल संख्या 112 दर्ज किया गया है। इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा के द्वारा न तो मृतक चतरसिंह के विधिक वारीसान की जांच की न ही अप्रार्थी को कोई नोटिस दिया गया और न ही उन्हें सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2019 एवं न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–04–2021 विधिसम्मत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

7– हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा निगरानी पर की गई बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी ने निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण दर्शित किए है वे पर्याप्त एवं संतोषप्रद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/3229/2021/अलवर** **दिनेश चंद बनाम मूर्ति उर्फ नन्गो व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझतें है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

8— प्रस्तुत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए? या फिर विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 24—04—2016 से रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 112 तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 112 तस्दीक किए जाने से पूर्व मृतक के विधिक वारीसान को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होना प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है तो उसमें सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जब इंतकाल तस्दीक किया गया था तब क्या ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए उक्त इंतकाल तस्दीक किया गया है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का अवलोकन करने पर पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य, दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे साबित हो की ग्राम पंचायत जटवाडा द्वारा खोले गए नामान्तरकरण संख्या 112 से पूर्व मृतक चतरसिंह के वारीसान को सुनवाई हेतु कोई नोटिस आदि दिए गए हो अथवा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया हो। हमने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ एवं न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किए गए है वे विधिसम्मत प्रतीत होते है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझतें है।

9— परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/3229/2021/अलवर** **दिनेश चंद बनाम मूर्ति उर्फ नन्गो व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24–05–2019 एवं न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–04–2021 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड पुनः लौटाया जाना सुनिशिचित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे और बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	